हरिभूमि
छिंदवाड़ा भूमि
पांढुर्णा | सौंसर | चौरई | बिछुआ | परासिया | जुन्नारदैव | अमरवाड़ा | हर्रई

नगर निगम ने दिया बड़ी कार्यवाही को अंजाम, बंधक फ्लैट भी हुए राजसात

निगम ने कॉलोनी विकास अनुमति की रद्द

हरिभूमि न्यूज ▶▶| छिन्दवाडा

नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा आवेदक मेसर्स वसुधा इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिवेणी अपार्टमेंट छिंदवाड़ा को मौजा परतला खसरा नं. 154/1/1, 154/251, 154/252 व 154/259 कुल रकबा 0.8160 है. में से 0.654 हे. भूमि पर आवासीय अपार्टमेंट हेतु की अनुमति दी गई थी। जिस पर आवेदक द्वारा कालोनी विकास की अनुमति हेतु द्वितीय आश्रय शुल्क राशि 90,30,402/- जमा करने हेतु 04 माह के भीतर करने हेतु निवेदन किया गया था किन्तु आवेदक द्वारा नियत दिनांक तक तय जमा नहीं की। इसके साथ ही आवेदको को राशि जमा करने हेतु विभिन्न माध्यमों से बार बार सूचित किया गया। आवेदक द्वारा

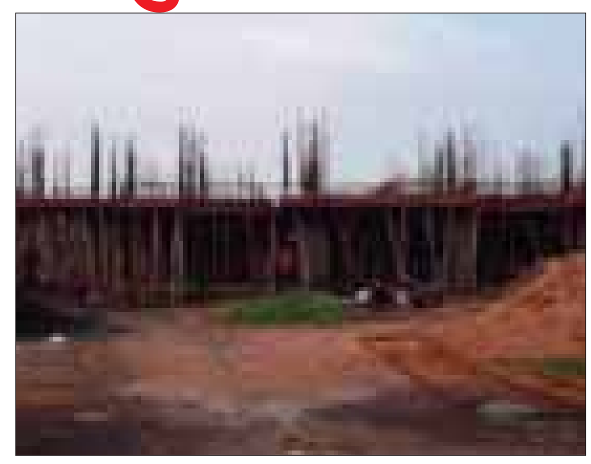

म०प्र० नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं म०प्र० नगर पालिका (काल का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2021 का स्पष्ट उल्लघन किया गया। आवेदको को राशि जमा करने हेतु पर्याप्त समय एवं अवसर दिये जाने के बाद भी पूर्ण तय राशि जमा नहीं की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए आवेदक मेसर्स वसुधा इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिवेणी अपार्टमेंट छिंदवाड़ा राशि के जमा न करने के कारण बंधक फ्लैटों (क्रमांक 802 से 808 तक) को नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा राजसात कर लिया गया। इसके साथ ही संबंधितों को जारी कालोनी विकास की अनुमति क्रमांक एवं भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा आम जन से उक्त संपत्तियों से क्रय विक्रय न करने की अपील की गई है।

खबर संक्षेप

सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह हुआ आयोजित

जुन्नारदेव। नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल में 20 वर्ष तक सेवा देने वाले शिक्षक राजकुमार विश्वकर्मा को नगर पालिका परिषद एवं स्कूल का स्टाफ ने सम्मान समारोह आयोजित कर विदाई दी । इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे ने कहा की सेवानिवृत्ति के बाद समाज को मार्गदर्शन दें । आगे उन्होंने कहा कि राजकुमार विश्वकर्मा अपने आने वाले जीवन में व्यस्त रहे, मस्त रहे स्वास्थ्य रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपील समिति सदस्य पार्षद संजय जैन ने कहा कि सेवानिवृत्ति के सथ कर्मचारियों का फंड तत्काल प्रदान करना चाहिए । ऐसे प्रयास नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह में नगर पालिका परिषद की ओर से राजकुमार विश्वकर्मा को साल श्रीफल फल और रामायण भेंट की गई। इस अवसर पर शिक्षक अजहर खान ने श्री विश्वकर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की।

जिले में अभी तक 170.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छिन्दवाड़ा। जिले की औसत वर्षा 1059 मि.मी. है तथा जिले में अभी तक 170.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 241.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 01 जुलाई को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 17.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 01 जुलाई को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान तहसील छिंदवाड़ा में 16.2, मोहखेड़ में 55, तामिया में 4.1, अमरवाड़ा में 18.2, चौरई में 28.2, हर्रई में 19.6, बिछुआ में 14.6, परासिया में 5.2, जुन्नारदेव में 1.4, चांद में 27.2 और उमरेठ में 4.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में एक जून से अभी तक तहसील छिन्दवाड़ा में 156.7, मोहखेड़ में 100.6, तामिया में 214, अमरवाड़ा में 251.2, चौरई में 136.8, हर्रई में 106.2, बिछुआ में 243, परासिया में 124.4, जुन्नारदेव में 148.4, चांद में 244 और उमरेठ में 147.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

नियम विरूद्ध चल रहे हैं कार्य

नगर पालिका परिषद में बेखौफ चल रही है भर्राशाही

हरिभूमि न्यूज ▶▶| दमुआ

नगर पालिका परिषद दमुआ में चल रही मनमानी एवं भर्राशाही नियम विरूद्ध चल रहे कार्य नगर पालिका दमुआ के निकाय क्षेत्र वार्डवासी मूलभूत जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे है जैसे साफ सफाई, पेय जल, कई वार्डो में नाली का आभाव, वार्डो में स्टेट लाईन का बंद रहना आदि शामिल है। विगत दो माह हो चुके है किन्तु प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर स्थाई रूप से सी.एम.ओ. पदस्थ नही है। नगर पालिका भगवान भरोसे चल रही है। नागरिकों की आवश्यक मूल भूत सुविधाऐं जैसे पानी की समस्या, साफ सफाई की व्यवस्था पेंशन से संबंधित समस्या , नाली की समस्या , गरीबो मिलने वाला मालिकाना हक के पट्टे, प्रधान मंत्री आवास के हितग्राहियों की सुनवाई नही हो रही है , कई वार्डो बरसात को देखते हुए पानी एवं नाली की समस्या है कई परिवरों की समग्र आई.डी. की केवायसी नही हुई है। और यहां तक कि न.पा.प दमुआ मे पुराने कर्मचारियो को बिना कारण से कार्य से निकाल दिया जा रहा है और उनके बदले नये लोगो को मन माने तरीके से पैसा लेकर भर्ती कर रहे है वर्तमान समय जरूरत से ज्यादा कर्मचारी रखे गये है तथा कर्मचारियों को 2 महिने से वेतन नही मिला है। जैसी अनेक समस्या से लोग जूझ रहे है नगर पालिका दमुआ की समस्याओ को लेकर सी.एम.हेल्प लाईन में भी शिकायत की गई जो अपडेट शिकायत है उसका निराकरण नही कर रहे है निराकरण के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इस तरह नगर पालिका दमुआ के हालात बने हुए है। स्थानीय जागरूक एवं सामाजिक नागरिको तथा वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है शीघ्र ही स्थाई रूप से सी.एम.ओ को पदस्थ किया जाए।

ठेकेदार के विरूद्ध महिला ने की शिकायत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| पांढुर्णा

आज मेघनाथ वार्ड निवासी समीक्षा पति गुड्डू तेजी आयु 26 ने पुलिस अधिक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी से भेंट कर शराब ठेकेदार के आदमियों पर जबरन घर में घुसकर शराब खोजने, धक्कामुक्की करने एवं तू तडाक करने का आरोप लगाया है। पीडित समीक्षा ने एसपी महोदय को इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। महिला की शिकायत के अनुसार सनी उपाध्याय, नागेश एवं कुछ अन्य लोग कल 30 जून को उसके घर में बलपूर्वक तब घुसे जब वह अपने घर में अकेली थी। इसके बाद इन लोगों ने घर में जबरदस्ती छानबीन करते हुए कहा कि तेरे घर में शराब रखी है और तुम शराब का धंधा करते हो। इसके बाद पीडिता के साथ धक्कामुक्की कर चले गए। पीडिता के अनुसार ठेकेदार के आदमी कई बार घर में घुसकर छानबीन कर चुके है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस प्रकार हमेशा हमेशा ठेकेदार के लोगों द्वारा घर में घुसने से परेशान होकर महिला ने जिला पुलिस अधिक्षक से कडी कारवाई की मांग की है।

जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित

छिन्दवाड़ा। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा तथा तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा वृहद् पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विशेष न्यायाधीश श्री मोहित दीवान, अपर सत्र न्यायाधीशगण श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, श्री अभिषेक नागराज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवमोहर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मेहताब सिंह बघेल, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, श्री गोपाल जाटव, सुश्री अवनि व्यास, सुश्री अक्षिता शुक्ला, सुश्री संयोगिता खत्री, सुश्री प्रीति राठौर, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री सतेन्द्र कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष श्री श्याम कुमार यादव, सह सचिव श्री शक्ति पांडे, पुस्तकालय सचिव श्री जय राय, कार्यकारिणी सदस्य श्री देवीलाल विश्वकर्मा, श्री प्रतीक भारद्वाज, श्री प्रभु अहिरवार, श्री विजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री चंद्रशेखर मुद्गल, श्री संजय मिश्रा, श्री कैलाश मिश्रा, श्री राजकुमार मिश्रा, श्री राजेन्द्र सिंह बैस एवं अन्य की उपस्थित में पौधारोपण किया गया।

वहीं आज से संपूर्ण देश में लागू हुये नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी देने के लिये जिला जेल छिंदवाड़ा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

एक पेड़ मां के नाम अभियान की जिले में हुई शुरुआत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| छिंदवाड़ा

शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ₹एक पेड़ मां के नाम₹ पौधारोपण अभियान की सोमवार को शुरुआत हो गई है। यह अभियान 15 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा। जिला स्तर पर ₹एक पेड़ मां के नाम₹ अभियान का शुभारंभ कलेक्टर श्री सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री और सीईओ जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल ने छिंदवाड़ा शहर के डेनियलसन डिग्री कॉलेज के पास स्थित लाल मैदान में जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मां के नाम एक-एक पौधा लगाकर किया। इस दौरान लगभग 150 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय, कार्यपालन यंत्री श्री ईश्वर चंदेली, पार्षद श्री चंद्रभान चंदू ठाकरे, श्री रोहित पोफली, श्री अंकित सोलंकी, नगर निगम सहायक यंत्री श्री विवेक चौहान, श्री ब्रजेश पांडे, श्री रोहित सूर्यवंशी, श्री सचिन पाटिल, सुश्री स्मिता इंदौरकर, श्री अभिनव कुमार तिवारी, श्री गीतेश धुर्वे, श्री शिव पंद्राम सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी पौधारोपण कर अभियान को सार्थक बनाया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने छिंदवाड़ा जिले के सभी नागरिकों से कम से कम एक पौधा अपनी मां के नाम लगाकर और उसे मेरी लाइफ ऐप के माध्यम से जियो टैग कर ₹एक पेड़ मां के नाम₹ अभियान को सफल बनाने की अपील की है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलाया जायेगा। जियो टैग और फोटो अपलोड करने के लिए मेरी लाइफ (Meri Life) मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

पेंशनर समाज के तहसील चौरई अध्यक्ष बने हरिनारायण शर्मा

चौरई। चौरई कस्बे के वार्ड नंबर एक मोहल्ले में पेंशनर समाज की बैठक संरक्षक शंकर लाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में हरिनारायण शर्मा को पेंशनर समाज का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।नई कार्यकारिणी का गठनअध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष विजय बोरिकर , को बनाया गया पेन्शनर समाज शाखा-चौरई की कार्यकारिणी सूची:- श्री हरिनारायण शर्मा - अध्यक्ष विजय बोरीकर - कार्यकारी अध्यक्ष सी. एल.हटवार- उपाध्यक्ष ₹ धनीराम चौधरी उपाध्यक्ष शिववरन शर्मा सचिवजगदीश प्रसाद चौरसिया कोषाध्यक्ष श्रीमति जया मिश्रा उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, हिम्मत सिंह बघेल सहसचिव, नन्हेंलाल पंचेश्वर - प्रचार मंत्री,पी0 एस0 मसराम - समन्वयक,(मीडिया प्रभारी). लखन सिंह ठाकुर,श्री शंकरलाल शर्मा - संरक्षकमहेश कुमार तिवारी₹ ओ0पी0 सोनी₹ चैतराम माहोरे पेंशनर समाज चौरई (छिंदवाडा) को शामिल किया गया हैं।

कृषक हित में कार्य करें सभी एफपीओः कलेक्टर सिंह

हरिभूमि न्यूज ▶▶| छिंदवाड़ा

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में किसान उत्पादन संगठन, कृषि अवसंरचना निधि, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना एवं आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी किसान उत्पाद संगठन के पदाधिकारी, प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जिले में संचालित सभी एफ.पी.ओ. को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उचित मूल्य पर अपने सदस्य कृषकों को कृषि आदान सामग्री प्रदाय करने के लिये सीधे बडी कम्पनियों से थोक में क्रय करने के लिये निर्देशित किया गया, जिससे सभी सदस्य कृषकों को कम दामों में उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री प्राप्त हो सके। साथ ही सभी किसान उत्पाद संगठन को कृषि आदान सामग्री विक्रय के लिये कृषि विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया। बैठक में कृषि विस्तार सुधार आत्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना का अनुमोदन कर कृषि एवं एलाइड विभागों को सामंजस्य कर नवाचार करने के भी निर्देश दिये।

समय सीमा के अंदर ही निराकरण हो सुनिश्चितः कलेक्टर

कलेक्टर श्री सिंह ने ली समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| छिंदवाड़ा

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को संतुष्टि के साथ बंद कराएं। अधिकारी नियमित रूप से लंबित शिकायतों को देखें, शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी वास्तविक शिकायत समझें और उसका निराकरण कराएं। जो विभाग पिछले माह जारी रैंकिंग में डी ग्रेड में रहे हैं, वो इस बार कम से कम बी ग्रेड में आने के लिए अभी से मेहनत करें। सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त अधिकतम शिकायतों का निराकरण एक सप्ताह के अंदर करने का प्रयास करें। सीएम कार्यालय और सीएम निवास से प्राप्त आवेदनों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए। विभिन्न आयोगों के 98 पत्र लंबित हैं, संबंधित विभाग अपेक्षित कार्यवाही कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 48 प्रकरण समय सीमा बाह्य होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा बाह्य नहीं होना चहिए। संबंधित पदाभिहीत अधिकारी तत्परता से इन सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर श्री सिंह आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। यह बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें सीईओ जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, अपर कलेक्टर श्री के.सी.बोपचे, एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्री पी.राजौरिया, नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री सी.पी.राय व उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत आदि मौजूद रहे।

टीआई ने नागरिकों को दी नए कानून, नए विधान की जानकारी

तामिया थाने में पुलिस कर्मी सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

हरिभूमि न्यूज ▶▶| तामिया

देश मै अपराध और न्याय के लिए नए कानून लागू हो गए हैं! नए कानून के अनुसार अब प्राथमिकी की दर्ज होगी! और मुकदमे भी नए कानून के तहत नया भारत नया विधान नवीन आपराधिक कानून में आज तामिया थाने में चर्चा हुई एवं भारतीय न्याय संहिता की तामिया थाना नगर निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर लागू हुए कानून के बारे में उपस्थित ग्रामीणौ को बतलाया कि अब अपराधी की उपस्थिति के बगैर भी न्यायालय में फैसले तक केश चलेगा! संगीन अपराधों के लिए लिए महिला कर्मचारी एवं शीघ्र महिला न्यायाधीशों की व्यवस्था का भी प्रावधान इस नए कानून में रखा

गया है! नगर निरीक्षक ने पंचायत सचिव सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को नए कानून के बारे में लोगों को बतलाएं कि अब सब सुनवाई वीडियो कैमरे की निगरानी में होगी! इसे अदालत में सबूत मै झुठ लाया या इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकेगा! न्यायालय में फरियादी को जल्द न्याय मिलेगा एवं उसकी रक्षा करना भी पुलिस का काम है! इस कानून के तहत तत्परता से पुलिस काम करेगी आज थाना प्रांगण में उपस्थित सभी उपस्थित नागरिको को टीआई विजय सिंह ठाकुर ने नया भारत नया विधान नवीन आपराधिक कानून पर जानकारी दी।

कानून को लेकर बैठक में की चर्चा

जुन्नारदेव। देश की केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून बदल दिया है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित तीन कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो गए। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। उपरोक्त जानकारी थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बैठक के दौरान दिया।

सडक दुर्घटना में 1 ने तोड़ा दम, 1 नागपुर रिफर

पांढुर्ना। आज दोपहर नागपुर रोड पर मोरडोंगरी टी पॉइंट के पास आइशर मीनी ट्रक और मो. साइकिल की जबरदस्त भिडंत में मो. साइकिल सवार फिरोज अंसार शेख की मौत हो गई। मो. साइकिल पर पीछे बैठे प्रमोद सोमकुंवर को हाथ एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें होने से नागपुर रिफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद पिता ज्ञानेश्वर सोमकुंवर निवासी मारूड आयु 40 एवं फिरोज पिता अंसार शेख निवासी तिगांव आयु 32 मो. साइकिल पर सवार होकर ग्राम बडचिचोली जा रहे थे।

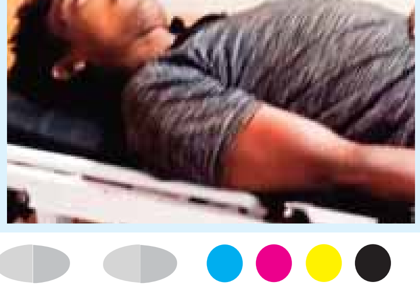

आदिवासी महिला सरपंच के भोलेपन का उठा रहे फायदा

नियम विरूद्ध सचिव ने रसूखदार के सामने डाल दिए पाइप

हरिभूमि न्यूज ▶▶| तामिया

तामिया ग्राम पंचायत में आदिवासी महिला सरपंच के भोलेपन का लाभ उठाकर नियम कानून को दर किनार कर सचिव ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से संचालित कर रहे हैं। सचिव की हठ धर्मिता निर्माण कार्यों में साफ देखने मिल रही है। पंचायत सचिव उपयंत्री द्वारा वनाये.गए एस्टीमेट के विपरीत निर्माण कार्य में लापरवाही पूर्वक कार्य कर रहे हैं। मुख्य मार्ग से साप्ताहिक बाजार तक बन रही सड़क के बाद नाली निर्माण में सचिव द्वारा रसूख दारो.के सामने नाली बनाने के बजाये पाइप डालकर उनको उपकृत करने जैसा कार्य कर रहे है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाजार रोड पर वन रही नाली में कंक्रीट कार्य की जगह चहेतों को सुविधा देने नाली में पाइप डाले जा रहे है।

सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि मुख्यालय ग्राम पंचायत सचिव आखिर पाईप की जगह नाली निर्माण में एस्टीमेट के हिसाब से लोहा कंक्रीट कार्य किया जाना है। लेकिन हजारों के पाइप का भुगतान सचिव बिना एस्टीमेट में शामिल पाइपों का भुगतान कैसे करेंगे। जबकि उप यंत्री मूल्यांकन माप पुस्तिका में नहीं कर सकते। बावजूद आखिर किसके भरोसे सचिव रसूखदारों के घर के सामने पंचायत की राशि से पाइप डाल रहे है। इसकी जांच होगी तो नाली निर्माण में अनियमितता के साथ-साथ निर्माण कार्य में फर्जी वाडा उजागर होगा।

वार्डवासियों ने रैली निकालकर की नारेबाजी, अधिकारी ने दिया आश्वासन

राशन दुकान यथावत करने सड़क पर बैठे पार्षद-वार्डवासी

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

आम आदमी पार्टी के पार्षद गविन्द्र गढ़ेवाल को राशन दुकान यथावत कराने के लिए वार्ड वासियों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा । उनके साथ कांग्रेस पार्षद रेखा डेहरिया भी धरने पर बैठी ।गौरतलब है , कि न्यूटन वार्ड क्रमांक 6 और 7 के लोगों को लंबे समय तक टट्टालाईन में स्थित ग्राउंड के समीप स्थित दुकान स्थित दुकान से राशन मिलता रहा , लेकिन बीते 1 साल से उन्हें वहां से राशन मिलना बंद हो गया । अब सभी हितग्राहियों को वार्ड क्रमांक 4 परासिया रोड शराब भट्टी के सामने स्थित राशन दुकान से राशन लेना पड़ता है । वार्ड वासियों को वर्तमान दुकान से राशन लेकर अपने घरों तक जाना परेशानी का कारण बनने लगा है । इन लोगों को राशन लेने के लिए लगभग आधा - 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । वार्ड वासियों ने इस परेशानी को अपने वार्ड पार्षदों के सामने रखी । इसके बाद से वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद रगविंद्र गढ़ेवाल लगातार राशन दुकान यथावत करने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाते रहे । बावजूद इसके इनकी एक भी नहीं सुनी गई आखिरकार सोमवार 1 जुलाई को पार्षद और वार्ड वासियों के सब्र का बांध टूट गया और सभी अपने-अपने वार्डों से निकालकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए वार्ड क्रमांक चार में स्थित राशन दुकान पहुंच गए । यहां सभी लोग सड़क पर बैठकर धरना देने लगे । सूचना मिलने पर खाद्य अधिकारी सुमित चौधरी मौके पर पहुंचे और पार्षद सहित वार्ड वासियों से बातचीत की । उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले जहां से राशन मिलता था अब उन्हें वहीं से राशन दिया जाएगा । इसके अलावा पार्षद गविंद्र गढ़ेवाल ने राशन दुकान संचालक और उनके कर्मचारियों पर हितग्राहियों के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है ।

पौधारोपण कर मनाया सौंसर अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर्स डे

हरिभूमि न्यूज ⏭ सौंसर

सोमवार को विश्व डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर एसोसिएशन सौसर के तत्वाधान में ग्राम सांवली स्थित स्टेडियम मे दर्जनों छायादार तथा फलदार पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण के साथ-साथ डॉक्टर की टीम के द्वारा वर्षों की सुरक्षा रक्षा एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर संकल्प भी लिया गया। असोसिएशन अध्यक्ष डॉ विजया पांडे उपाध्यक्ष डॉ शिव सलोटकरबताया कि डॉक्टर एसोसिएशन सौसर की द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी में वर्ष भर अनेक आयोजन किए जाते हैं।वृक्षारोपण कार्यक्रम सचिव डॉ दिनेश ढोक, कोषाध्यक्ष देवश्री शेंडे, सह सचिव डॉ प्रशांत धोटे, डॉ शीतल बोकडे, डॉ रूपेश बोकडे,डॉ संदीप नखाते, डॉ श्वेता गजभिए, डॉ प्रफुल कंटक, डॉ. मृणालीनी कंटक, डॉ श्याम क्षीरसागर,डॉ एस दीवान,डॉ सौरभ ठाकरे,डॉ प्रमोद तेलंगे, डॉ. भूषण बोन्द्रे, डॉ. शुभम शिंदे,डॉ अमोल भक्ते,डॉ डॉ.जुबेर मंसूरी डॉ दीक्षा गायकवाड आदि उपस्थित थे।

नये कानून की जानकारी पर हुआ सौंसर में आयोजन

हरिभूमि न्यूज ⏭ सौंसर

नगर के अन्नाभाऊ साठे मंगल भवन मैं पुलिस प्रशासन की ओर से 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय अपराधिक नवीन कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन करते हुए जनता को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। आयोजन में सौंसर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा इंदरचंद डागा,अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सौंसर डी .व्ही.एस नागर,सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर प्रवीण श्रीवास्तव,थाना प्रभारी सौंसर ए.बी मर्सकोले, प्रमुखता से उपस्थित थे। आयोजन में बड़ी संख्या में नगरवासी जनप्रतिनिधिगण,पार्षद, सेवानिवृत कर्मचारी, ग्राम सरपंच, सचिव, स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं शिक्षक-शिक्षिकाएं ने भाग नए कानून को जाना।आयोजन के दौरान वक्ताओं के द्वाराभारतीय नवीन आपराधिक कानून के संबंध में सामान्य जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से नए कानून को लागू किया जा रहा है। जिसमें पुरानी कुछ धाराओं में फेरबदल किया गया। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी। आयोजन के दौरान उपस्थितों के द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। सौसर डीएसपी पुलिस श्री नागर ने बताया कि भारतीय नए कानून के संबंध जानकारी बताने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों जनजागरण किया जाएगा।इस दौरान उपनिरीक्षक नीता माहोरे,आरक्षक अखिलेश, आरक्षक मनीष, पायलट अरुण तिवारी ने सहयोग किया। लोधीखेड़ा में भी पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यशाला का आयोजन करते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र यादव के द्वारा भारतीय अपराधिक नवीन कानून के संबंध में आम नागरिक को स्कूली छात्र-छात्राओं युवाओं को जानकारी दी है।

बोरगांव विद्या स्थली कोचिंग में हुआ सत्कार समारोह

सौंसर। औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम बोरगांव की विद्या स्थली कोचिंग सेंटर के बच्चों ने इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तम स्थान प्राप्त करके अपने माता-पिता एवं तहसील का नाम रोशन किया है। संस्था की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं उज्जवल भविष्य की कामनाओं को लेकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विद्यास्थली कोचिंग बोरगाव के प्रमुख विकास सिंह ने बतायाकक्षा 12वीं में शीतल ठाकुर ने 93% प्राप्त करके पूरे तहसील में प्रथम स्थान स्थापित किया है । वही निलक्षी मलेकर ने 91.6 % श्रुति साहू ने 89.2 % और हर्ष बोदेकर ने 88.2% प्राप्त किया । 12वीं में कुल 16 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं । कक्षा दसवीं के बोर्ड परीक्षा में दुर्गेश्वरी साहू 93.4% प्राप्त करके तहसील में दूसरा स्थान अर्जित किया है । वही चैताली जीचकार ने 91.8% अभिषेक गिरहरे 88% प्राप्त किए हैं । कुल 12 बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त करके संस्थान एवं माता-पिता का नाम रोशन किया है।

थाना बिछुआ में नवीन अपराधिक कानून पर हुई चर्चा

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिछुआ

सोमवार को वृंदावन लान में नवीन अपराधीक कानून पर गणमान्य नागरिकों कि उपस्थित में चर्चा किया गया एवं गांव गांव जाकर नवीन कानून कि जानकारी देने कहा गया है। थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा नवीन कानून कि विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी 1860 की जगह अब से 01/07/24 से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया है जिससे अब अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है। जगाजनमानस को जागरूक करने के लिए गांव में शिविर लगाकर जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों से सहयोग प्रदान करने के लिए आग्रह किया गया आगामी समय में स्कूल कालेज हाट बाजार में पुलिस देगी नवीन अपराधीक कानून कि जानकारी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से। थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत,नगर परिषद अध्यक्ष रामचंद्र बोबडे,मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गोलू नागरे, जनपद उपाध्यक्ष निरंकुश नागरे, रघुराज सिंह पटेल, रामसिंग पटेल, ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रथ्वीराज ठाकुर,शिव चौरासिया, अधिवक्ता महीपाल चौपडे,खमारपानी चौंकी प्रभारी महेश अहिरवार गणमान्य नागरिक एवं समस्त पत्रकार पुलिस स्टाफ उपस्थिति रहा।

पूर्व राज्य मंत्री मोहोड़ ने किया अमरवाड़ा में जनसंपर्क

सौंसर। अमरवाड़ा में चल रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व राज्य मंत्री नाना मोहोड के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में सोमवार को जनसंपर्क करते हुए भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह को मतदान कर विजयी बनाने की अपील की।नगर में जनसंपर्क के दौरान पूर्व राज्य मंत्री श्री मोहड़ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अमरवाड़ा क्षेत्र का विकास करने की बात की। इस दौरान मोरेश्वर मर्सकोले, दारा जुनेजा,खेमराज सोनेकर आदि उपस्थित थे।

उकवा में सेवानिवृत्ति राजू हाडगे को सम्मानित कर दी गई विदाई

हरिभूमि न्यूज उकवा।

आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उकवा में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ राजू उर्फ राजेंद्र हार्ड को सम्मानित कर नमआंखों से विदाई दी गई । इन्हें 2 दिसंबर 1985 में सोनगुड्डा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ किया गया था जहां पर करीब 10 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवा दी उसके पश्चात दिसंबर 1995 से करीब 28 वर्षों तक उकवा के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे 30 जून 2024 को अपने कार्य से सेवानिवृत होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया जिसमें डॉ दीपक कुमरे एमबीबीएस, डॉ कुमारी मृदाली पंद्रे एमबीबीएस, आरपी शुक्ला मलेरिया इंस्पेक्टर, उत्तम सिंह उईके सुपरवाइजर,परेश मर्सकोले कार्मासिस्ट, दिलीप ठपरे, विज्जु नाकाडे लैब टेक्नीशियन,संतोष चौधरी बीसीएम, स्टाफ नर्स, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, एवं समस्त स्टाफ के द्वारा तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ साल एवं श्रीफल से सम्मानित कर विदाई दी गई । सम्मान एवं विदाई कार्यक्रम में भीम आर्मी भारत एकता मिशन उकवा एवं सोनपुरी के अनमोल पटले संदीप गजभिए ऋतिक कामडे एवं कपिल पटले का सराहनीय योगदान रहा ।

नागरिकों से संवाद कर कानून में बदलाव की दी गई जानकारी

नए कानून, संशोधित कानून के संबंध मे लांजी थाने में हुई बैठक

हरिभूमि न्यूज लांजी। 1 जुलाई से पूरे देश में नया कानून लागू हो चुका है। जिसमें कई धाराओं के क्रम परिवर्तित हो गये है। साथ ही कुछ धाराओं के नियम भी बदल गए है। इन सभी नियमों के बदलाव के संबंध में सोमवार 1 जुलाई को लांजी थाना में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें लोगों को बदले हुए नियमों के बारे में एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी और कानून में बदलाव के संबंध में समझाया। उन्होने बताया की नए कानून में नाम भी परिवर्तन किए गए हैं। आईपीसी (इंडियन पेनल कोड) की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। सीआरपीसी (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है इसमें 170 सेक्शन हैं। बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्यायालय दिलाना है।

महिला संबंधी अपराधों में भी बदलाव हुआः आगे जानकारी देते हुए एसडीओपी श्री घनघोरिया ने बताया की कई धाराओं के क्रम को परिवर्तन किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में भी बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है जिसमें सभी नियम बताए गए हैं। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रष्ट किया गया है। अब तलाशी और जप्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। गिरफ्तारी ऐसे अपराधों के मामले जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर नहीं होगी। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जबावदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल हैं।

पीड़ित को एफआईआर की प्रति और जांच की प्रगति जानने का मिला अधिकारः एसडीओपीः श्री घनघोरिया ने बताया की पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने व उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का उसका अधिकार है। गवाहों को धमकियों और भय से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुये गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। बलात्कार पीड़िता का बयान केवल महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। धारा 69 में झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल रिकार्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता होगी। डिजीटल साक्ष्य प्रमाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 62 एवं 63 में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की स्वीकार्रता दी गई है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराओं की संख्या 167 थी जिसे बढ़ाकर 170 की गई है।

नवप्रवेशित विद्यार्थियों का कॉलेज से कराया परिचय, बताए उद्देश्य

शासकीय महाविद्यालय लांजी में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन

हरिभूमि न्यूज लांजी।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय लांजी में आज 1 जुलाई सोमवार को तीन दिवसीय नवप्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य आर.आर. सोनवाने ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को महाविद्यालय का परिचय और उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने दीक्षारंभ समारोह का उद्देश्य से परिचित कराते हुए बताया कि कॉलेज में आने वाले नए विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराना है। उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति और संस्कृति को सिखाना, अन्य छात्रों और संकायों के सदस्यों के साथ जोडऩे के लिए प्रेरित करना आदि है। उल्लेखनीय है की मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार इस वर्ष से नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ समारोह मनाया जा रहा है, जोकि 1 से 3 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।

सीईओ जिला पंचायत ने कायदी सरपंच-उपसरपंच को किया था पद से पृथक अधिकारियों ने की कमिश्नर के आदेश की अनदेखी

कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपील खारिज के बाद भी 8 महीनों से पद पर बने हुए हैं सरपंच-उपसरपंच

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुरे के कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा गत 8 अगस्त 23 व 10 अक्टूबर 23 को जनपद पंचायत वारासिवनी की ग्राम पंचायत कायदी के उपससरपंच व सरपंच की अपील का निराकरण करते हुए दोनों को ही न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी विहित प्राधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के 6 मार्च 23 के आदेश, जिसमें सरपंच रेखा जितेन्द्र नगरगड़े व उपसरपंच संजय माहुले को पद से पृथक करते हुए 6 वर्षो के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया गया था, को यथावत रखने के आदेश का 8 माह बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन नहीं करने और सरपंच व उपसरपंच द्वारा अपने पद पर बने रहकर लगातार कार्य करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया हैं। इस मामले के सामने आते ही जिला स्तर पर अधिकारियों पर हडक़ंप की स्थिति बनी हुई हैं।

जनपद सीईओ के प्रतिवेदन पर जिला पंचायत सीईओ ने उपसरपंच को किया था पद से पृथकः जानकारी अनुसार जनपद पंचायत वारासिवनी के ग्राम पंचायत कायदी की सरपंच रेखा नगरगड़े व उपसरपंच संजय माहुले के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जॉच के बाद जनपद पंचायत वारासिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 16 फरवरी 23 को एक पत्र जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंच व उपसरपंच को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। जिस पर दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अपना पक्ष जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष लिखित रुप से प्रस्तुत किया था। वहीं अनावेदक को समक्ष से सुनने, जवाब एवं दस्तावेज लेने के उपरांत तर्क श्रवण करने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने पाया था कि उपसरपंच संजय माहुले द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम पूर्ण होने के बाद भी सचिव पर दबाव बनाकर बैठक स्थगित करने, शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न करने, बिना अनाधिकृत रुप से रेत रायल्टी एवं अन्य प्रमाण तथा शासकीय दस्तावेजों पर ग्राम में सरपंच के उपस्थित होने के उपरांत भी हस्ताक्षर करने का आरोप सत्य पाया गया था। वहीं उपसरपंच ने अपने ऊपर लगाए गए कुछ आरोपों को स्वीकार करते हुए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया गया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 क के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने के कारण संजय माहुले को 6 मार्च 23 को आदेश जारी कर उपसरपंच पद से तत्काल पृथक करते हुए आगामी 6 वर्षो के लिए निरर्हित घोषित कर दिया था।

सरपंच को भी जिला पंचायत सीईओ ने कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाए जाने पर पद से किया था पृथकः वहीं सरपंच रेखा नगरगड़े पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उनके लिखित जवाब एवं दस्तावेजों के साथ ही अपने समक्ष सुनवाई करने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत कायदी सरपंच रेखा नगरगड़े द्वारा सामुदायिक चारागाह का कार्य प्रारंभ नहीं करना, पोषण वाटिका का कार्य प्रारंभ नहीं करना, खेत तालाब कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना जिससे मजदूरों को रोजगार प्रदाय नहीं किया जाना, वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य नहीं कराये जाने का आरोप सत्य पाया गया। ग्राम पंचायत सरपंच रेखा नगरगड़े द्वारा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 48 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच की शक्तियॉ एवं कृत्य नियम 1994 का उल्लंघन पाते हुए अधिनियम की धारा 40 क के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने के कारण सरपंच को तत्काल पद से पृथक करते हुए आगामी 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित कर दिया था।

आदेश के खिलाफ सरपंच-उपसरपंच ने की थी कमिश्नर न्यायालय में अपीलः न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी विहित प्राधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के 6 मार्च 23 के आदेश के खिलाफ ग्राम पंचायत कायदी की सरपंच रेखा नगरगड़े व उपसरपंच संजय माहुले द्वारा न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर में अपील दायर की थी।

सरपंच की अपील की सुनवाई के बाद जिला पंचायत सीईओ के आदेश को सही पायाः अपील पर सुनवाई के दौरान सरपंच की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा किया गया और अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित पाया और प्रकरण में किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं मानी। उन्होंने इस तथ्य को प्रमाणित पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यो को प्रारंभ कराने में कोई रुचि नहीं ली गई, जिससे मजदूरों को मजदूरी से वंचित किया गया और शासकीय योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हो पाया। अपीलार्थी द्वारा शासकीय योजनाओं में कोई रुचि न लेकर अपने कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता बरती जाना प्रमाणित पाया गया और अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई और अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

कमिश्नर ने 10 अक्टूबर 23 को अपील कर दी थी खारिज : इन तर्को के साथ कमिश्नर अभय वर्मा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश 6 मार्च 23 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी सरपंच की ओर से प्रस्तुत अपील 10 अक्टूबर 23 को अग्राह्य कर दी थी।

थाना परिसर केवलारी में एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर भारतीय न्याय संहिता के बारे में दी गई जानकारी

केवलारी। एसडीओपी की अध्यक्षता में थाना परिसर केवलारी पर एक दिवासीय शिविर का आयोजन किया गया शिविर में नवीन भारतीय न्याय संहिता के बारे में उपस्थित जनों को संक्षिप्त जानकारी दी गई ।

आज से कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहित-बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को आनलाइन एफआइआर कर सकेगा। वह किसी भी जगह से घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत पंजीबद्ध करा सकेंगे। लेकिन शिकायत के तीन दिन के अंदर उसे संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा। शिकायत की प्रति पर उसका हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा

टी. आई ने बताया कि बीएनएस में पुलिस जांच को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रविधान किया गया है। तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा। यदि कार्रवाई में पंच पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे या तलाशी में साथ चलने से मना करेंगे तो उन पर भी मामला पंजीबद्ध करने का अधिकार होगा।

अब हथकड़ी से नहीं बचेंगे

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43-3 में गंभीर वारदात में लिप्त आरोपित को हथकड़ी लगेगी। हत्या, बलात्कार, अभिरक्षा से फरार, आतंकवादी कृत्य, संगठित अपराध के मामले में अब आरोपित को पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। अभी तक गंभीर अपराध के आरोपित भी कुछ प्रावधानों के कारण हथकड़ी पहनने से बच जाते थे।

एसडीओपी आशिष भराडे ने जानकारी देते हुए बताया कि,पहले और अब...

अपराध का प्रकार आइपीसी 1860 बीएनएस 2023 कुल धारा 511 358

हत्या के लिए दंड धारा 302 धारा 103 हत्या की कोटि में ना आने वाले अपराधिक मानववध धारा 304 धारा 105 लापरवाही से मृत्यु कारित करना धारा 304-क धारा 106 बलात्कार के लिए दंड धारा 376 धारा 64 आत्महत्या का दुष्प्रेरण धारा 306 धारा 108 हत्या करने का प्रयत्न धारा 307 धारा 109 दहेज मृत्यु धारा 304-ख धारा 80 चोरी धारा 379 धारा 303 लूट धारा 392 धारा 309 डकैती धारा 395 धारा 310 धोखाधड़ी धारा 420 धारा 318 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला धारा 354 धारा 74 किसी स्त्री के पति या पति के स्वजन द्वारा क्रूरता धारा 498-ए धारा 85 स्वैच्छया उपहति कारित करना धारा 323 धारा 115 अपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा धारा 120-बी धारा 61

छोटी चोरी सहित छह मामले में सामुदायिक सेवा की सजा

शराब पीकर हंगामा और छोटी चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। यदि पांच हजार रुपये कम मूल्य की चोरी का प्रथम बार दोष सिद्ध होने और चोरी की संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।

थाना आदेगांव मे नए कानून की दी जानकारी

थाना आदेगांव में सरकार के द्वारा जनहित के लिए जो नए कानून बनाए गए हैं उनको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ पत्रकार एवं ग्राम नागरिक उपस्थित रहे सरकार के द्वारा बदलाव किए गए कानून को विस्तृत जानकारी दी गई और उनके नागरिकों के हितों में फायदे जो हैं बताया गया।

भारतीय न्याय संहिता को लेकर थाना प्रांगण मैं हुयी बैठक

छपारा थाना प्रभारी सौरभ पटेल के व्दारा बैठक आयोजित की गई जिसमें नायब तहसीलदार नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि गण पत्रकार गण की उपस्थिति में थाना प्रभारी सौरभ पटेल 3 नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारियां दी।

विशाल निशुल्क बीपी शुगर जांच शिविर का किया गया आयोजन

केवलारी। केवलारी में रानी अवंती बाई चौक में विशाल निशुल्क बीपी शुगर जांच शिविर का आयोजन किया । राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया जी के मार्गदर्शन में किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी की छायाचित्र में अतिथियों के द्वारा पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया गयाजिसमें एसडीओपी श्री आशीष भराड़े जी, तहसीलदार श्री सतीश चौधरी जी, टी आई श्री चैनसिंह उईके जी , एस आई श्री मिश्रा जी किसान मोर्चा जिलाअध्यक्ष सुजीत राय जी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष श्री देवीसिंह बघेल जीअविनाश तिवारी जी मदनमोहन दुबे जी, श्री पवन यादव जी, भाजपा मण्डल अध्यक्ष सचिन अवधिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण दुबे, श्री पप्पू सेठ जी, प्यासी महाराज जी छोटू साहू जी विनोद वर्मन राष्ट्रीय बजरंग दल जिला महामंत्री राजेश कुमार बघेल, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष जंघेला, शिवम सिंहरहा ,प्रमोद साहू ,आनंद यादव, विकास जंघेला, अजय ठाकुर , सतीश बरमैया जी ,ने पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें लगभग 150 से अधिक लोगों ने अपनी बी वी शुगर की जांच करवाई जिसमें विशेषज्ञ जांच डॉक्टरो की टीम द्वारा लोगों को इलाज करवाने की समझाईस दिया गया।

गणित, विज्ञान का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

विज्ञान और गणित ऐसे विषय है जिससे विद्यार्थी घबराते है लेकिन इन विषयों को अगर सही ढंगसे विद्यार्थियों को समझाया जाए तो यह विषय उनके लिये वरदान साबित हो सकते है।

संचालक लोक षिक्षण जबलपुर के द्वारा यह 5 दिवसीय प्रषिक्षण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि,अगर हम विद्यार्थियों में गुणात्मक विकास चाहते है तो षिक्षकों को भी इस विषय की संपूर्ण जानकारी होना चाहिये। उनका भी अध्ययन होना चाहिये। जिससे वे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सके। उक्त उद्वार एम.एल.बी.कन्या षाला में आयोजित 5 दिवसीय प्रषिक्षण के दौरान जिला षिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे ने व्यक्त किये। इस अवसर पर सहा.संचालक आरएस पाटिल भी उपस्थित रहे।

शाला के प्राचार्य महेश गौतम ने कहा विज्ञान विषय सिर्फ किताबों तक सीमित होकर न रह जाए बल्कि वर्तमान में घटित होने वाली आकाशीय बिजली से दुर्घटना- यातायात से दुर्घटना. सर्प दंश से दुर्घटना आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जाए कि- यह सब कैसे और क्यों होता है\ आपने कहा कि शिक्षक वही सफल है जो क्लास में पढाने से पहले स्वयं अध्ययन करता है और जो शिक्षक ऐसा नही करते वह कभी सफल शिक्षक नहीं बन सकते है ।

240 लोगो ने प्रशिक्षण लिया

ज्ञातव्य है कि. एमएलबी. में प्रशिक्षण के दौरान 127 तथा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 113 लोगों ने प्रशिक्षण लिया जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन

संयुक्त संचालक प्राचीस जैन के दिया निर्देशन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन एस एस कुमरे, जिला शिक्षा अधिकारी,आर पी पाटिल,सहायक संचालक,विपनेश जैन एडीपीसी,महेश गौतम प्राचार्य, रशिम राय, प्राचार्य एम एल बी जी पी सकुरे, एन एस बैस,गजेन्द्र बघेल,मास्टर ट्रेनर गणित अविनाश अनवेकर ,रविकांत गढेवाल,भूपेन्द्र चौधरी,मनोज सनोडिया ,राकेश साहू,अनामिका बघेल,मास्टर ट्रेनर विज्ञान मोहन विश्वकर्मा,पी एल सनोडिया,विजय ठाकुर,के डहेरिया,शमसुनिन्शा खान,सहयोगी आशीष दुबे,अरविंद तिवारी,सतीश रजक श्रीदीप पवार,नीरज अवधिया,अशविनी उइके,हिमाशु कार्तिके, रामचरण मर्सकोले,गणित मे 113 ,एवं विज्ञान में 127 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

शॉर्टसर्किट से लगी आग, बड़ा हादसा टला

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिला मुख्यालय के नगर पालिका कॉम्पेक्स में स्थित आशीष रेपेरिंग मोबाइल शॉप में बीती रात लगभग 1:00 बजे के आसपास बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से दुकान में आग लग गई । प्राप्त जानकारी के अनुसार आग का पता चलते ही स्थानीय नागरिकों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी नागरिकों की समझदारी और प्रशासन की तत्परता के कारण इस आग पर काबू पा लिया गया । दुकान में आग लगने के कारण दुकान में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ अन्य सामग्री चलकर खाक हो गई इस अग्निकांड से अन्य दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

खबर का असर पुल की सफाई में लगे सफाई कर्मचारी

हरिभूमि न्यूज छपारा। समाचार प्रकाशित होते ही सक्रिय हुयी नगरपरिषद छपारा नगरपरिषद मे बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि छपारा के विकास और सुन्दरता के लिए जितनी दिलचस्पी से सी.सी. रोड़ बना रही है काबिले तारीफ है परन्तु मूलभूतसुविधाओ से परहेज करना शिक्षित पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हुए सीएमओ के इशारे में चलना अपनी राजनीतिक भविष्य खराब कर रहे हैं यदि कुछ समय निकाल कर नगर में फैली अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान दें तो नगर की सुन्दरता पर चार चांद लगाया जा सकता है छपारा ब्लाक दैनिक हरिभूमि संवाददाता द्वारा छोटी बड़ी जनसमस्याओं को लेकर हमेशा निष्पक्ष रुप से समाचार प्रकाशित किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा पिछले अंक जिसका शीर्षक था पुल में भरा नाली का पानी नगर परिषद नहीं दे रही ध्यान प्रकाशित किया गया था जिसमें नगरपरिषद ने संज्ञान में लेते हुए नगर के मुख्य मार्ग चमरहा नाले पर करोड़ों की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल पर दुषित पानी मिट्टी किचड़ को हटाया गया और पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की।

हरिभूमि न्यूज सिवनी। एक पेड़ माँ के नाम कर प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज रानी दुर्गावती वार्ड के स्वामी विवेकानंद स्कूल में एक पौधा लगाया। जिसमे स्कूली बच्चे स हित भाजपा वार्ड अध्यक्ष संदीप, प्रहलाद उइके रवि सैयाम अनेक लोग शामिल हुये।

समय सीमा के बाद भी नहीं हुआ भवन निर्माण, ओपन बिल्डिंग का मामला संज्ञान ले कलेक्टर

अक्टूबर 2013 में यह बिल्डिग बनकर तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन ठेकेदार शफीक कुरैशी द्वारा लेटलतीफी के चलते यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

नवागत कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने अधिकारियों की बैठक में जैसा कि कहा है जो निर्माण कर्ा समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए है उनकी रिपोर्ट कलेक्टर को दी जाये। आश्र्वय होता है कि नगर पालिका के सामने नेताजी सुभष चंद्र बोस हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रांगण में बनायी जा रही 2.86 लाख की लागत से बिल्डिंग की समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी काम अधूरा पड़ा है।

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पता नहीं जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस कार्य को भगवान भरोसे होने देना चाहते हैं तभी तो गुणवत्ता की जांच के लिए डेढ़ वर्ष में एक भी अधिकारी नहीं आया। ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने सामग्री को लेकर हमने पूं में भी प्रकाशित किया है साथ ही निर्माण स्थल पर ना तो निर्माण अवधि का उल्लेख है और ना ही उस फर्म का उल्लेख है जो इस कार्य को कर रही है। ठेकेदार कहता है कि मेरा काम तो भोपाल से चलता है, कोई अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो ठेकेदार समयावधि पूर्ण होने के बाद भी निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में रूचि नहीं ले रहा है। वर्तमान में लेटलतीफी करने का कारण लोगों ने बताया कि कार्य समाप्ति के पूर्व ठेकेदार द्वारा विलंब होने पर शासन से राशि बढ़ाने की मांग करेगा और शासन को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जिस शाला के प्रांगण में यह निर्माण हो रहा है वहां के प्राचार्य भी कार्य को पूर्ण करने के इच्छुक नहीं लग रहे, पता नहीं दोनो के बीच आपस में क्या तालमेल है? जो गलत काम को भी गलत नहीं कह पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में पी-फोर तक पहुंच गयी है और शीघ्र ही इस मामले में बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। साथ ही उम्मीद है कि नवागत कलेक्टर ओपन भवन के इस निर्माण को संज्ञान अवश्य लेंगी।

सिवनी में प्रथम ओपन शतरंज प्रतियोगिता का समापन समारोह

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

आज शांति शिखर ब्रह्म कुमारीज सिवनी में प्रथम सिवनी इंटरनेशनल फीड़े रैपिड रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता का समापन के मुख्य अतिथि श्री मनीष अग्रवाल जी, श्री जनक कुमार तिवारी जी, ब्रह्मकुमारी संचालक बड़ी दीदी, गीता दीदी, श्री अनीश बघेलजी,मुख्य संरक्षक श्रीमती मीनू बोरकर ,एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2024 कजाकिस्तान में भारत की ओर से सम्मलित चीफ आर्बिटर श्री प्रवीण ठाकरे जी, श्री संजय सोनी,श्री राजीव अकील पार्षद,श्री जनक तिवारी जी, श्री श्रवण साहू जी, एडवोकेट श्री गोविंद सिंह बोरकर जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता का का उद्घाटन 29 जून 2024 को किया गया जिसके अतिथ ब्रह्मकुमारी सिवनी की संचालक बड़ी दीदी, श्री अतुल मालू जी वन्य ऑटोमोबाइल्स एवं जैविक खाद्य के प्रमोटर, श्री एस एस कुमरे जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी ,श्री पाटिल सहायक संचालक, श्री प्रवीण ठाकरे अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, इस ओपन शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 179 शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता दी, इनमें से सभी खिलाड़ी ऑल इंडिया के फेडरेशन ऑफ इंडिया से पंजीकृत हैं, इस ओपन शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को जो अपनी-अपनी आयु वर्ग में स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें मेडल ट्रॉफी एवं नगद ईनाम की राशि दी गई, 7 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम स्थान अयांश कुरकुरे एमपी को मिला, 9 वर्ष से काम में प्रथम स्थान स्वराज मिश्रा, दूसरा स्थान कृष्णा हरीश मुरकुटे एवं तृतीय स्थान लावण्या जुनेजा रहे, 11 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम स्थान धीरज लाहोटी महाराष्ट्र ,द्वितीय स्थान सूर्यांश सिंह मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान आयुष देहरिया मध्य प्रदेश, 13 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम स्थान हर्ष लाहोटी, द्वितीय स्थान ईशान जायसवाल महाराष्ट्र ,तीसरा स्थान महान मोहरे मध्य प्रदेश , 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम स्थान अभिजीत सोलंकी, द्वितीय स्थान पीयूष तिवारी, तीसरा आरव कुमार कोष्टक तीनों एमपी से, दिव्यांग प्लेयर्स के लिए भी इनाम प्रथम स्थान प्राची चंद्रवंशी मध्य प्रदेश, इस प्रतियोगिता में बेस्ट सिवनी के खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार रखे गए थे जिसमें से प्रथम स्थान राहुल वाहन, दूसरा स्थान एम निगूतकर तीसरे स्थान पर शिवांश गुप्ता, महिला वर्ग में प्रथम स्थान ढूंढेजा महाराष्ट्र ,केतकी कर्षा मध्य प्रदेश एवं तृतीय स्थान ढूंढेजा माही महाराष्ट्र, 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों में प्रथम स्थान कंवल ओमप्रकाश मध्य प्रदेश ,द्वितीय स्थान सतीश बेल मध्य प्रदेश एवं तृतीय स्थान ए एम समकोण रहे, अनरेटेड खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया गया जिसमें प्रथम स्थान संदीप कुमार उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान फुलवानी हरीश मध्य प्रदेश ,तृतीय स्थान उत्कर्ष राठी महाराष्ट्र रहे , रेटिंग खिलाड़ी 1400 से 1599 तक में प्रथम स्थान संजय भांगे महाराष्ट्र ,द्वितीय स्थान संतोष सदाओ, तृतीय स्थान अक्षय पातुरकर रहे, रेटिंग खिलाड़ी 1600 से 1799 के खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी एवं नगद राशि प्रदान की गई जिसमें प्रथम स्थान पर कलवनडे मयूर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान संदीप जयसवाल उत्तर प्रदेश ,तीसरा स्थान सोलंकी अभिषेक मध्य प्रदेश, प्रथम शिवानी इंटरनेशनल सिटी रेटिंग ओपन चेस टूर्नामेंट के अंतर्गत पूरे टूर्नामेंट में प्रथम 15 खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं नगद राशि के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ,जिसमें दसवें स्थान पर गौरव निगम ,नवे स्थान पर साइन शर्मा ,आठवां स्थान मुरारी लाल कोरी, सातवां स्थान कामद मिश्रा, छतवा स्थान सौरभ चौबे ,पांचवा स्थान अभय बंडेवार, चौथा स्थान संघर्ष को ₹5000 की राशि ,तीसरा स्थान सौरभ खरीद कर महाराष्ट्र को तीसरा स्थान₹7000 की राशि, दूसरा स्थान डूडेजा पवन महाराष्ट्र को 11111/ रुपए की राशि, एवं इस टूर्नामेंट में विजेता माधवेंद्र प्रताप शर्मा मध्य प्रदेश को 21001/ की नगद इनाम राशि अतिथियों के द्वारा दी गई, इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में श्री जीत ठाकरे ,श्री विशाल बघेल, श्री अतुल श्रीवास्तव, साक्षी बोरकर, सुरक्षा बोरकर, श्री पहलाद सिंह बघेल, श्री आलोक ठाकरे ,श्री अमन साहू,देवांश साहू,रोहित,प्रकाश,रहे, इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी समस्त शतरंज खिलाड़ियों को संघ की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, इस प्रतियोगिता में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन भैया विशेष योगदान रहा, इस प्रतियोगिता का टूर्नामेंट पुरस्कार नगद राशि के रूप में 21000/, प्रथम इनाम टूर्नामेंट का दूसरा इनाम श्री मनीष अग्रवाल जी की ओर से 11111/, एवं तीसरा इनाम के के चतुर्वेदी जी की तरफ से7000/ प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त नगद राशि ईनाम में सामा.रजीक अकील जी ,संजय सोनी जी, सौरभ जाटार जी ,पवन रा हाडाले जी ,श्रीमती थॉमस मैडम जी, श्री प्रदीप वर्मा जी, श्री एस, एस कमरे जी के अलावा अन्य लोगों ने भी इस टूर्नामेंट को सफलतम बनाने के लिए अपना अपना अमूल्य योगदान दिया, इस ओपन शतरंज प्रतियोगिता को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से आयोजित किए जाने हेतु शांति शिखर श्री ब्रह्म कुमारीज आश्रम के सद्भावना सभागार हाल को संपूर्ण ब्रह्मकुमारी आश्रम परिवार ने प्रदाय किया जिससे यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई,इस स्थान में प्रतियोगिता आयोजित होने पर समस्त शतरंज खिलाड़ियों एवं बाहर से आए हुए अभिभावकों एवं पलकों ने संपूर्ण परिसर की बहुत सराहना की एवं ब्रह्मकुमारी परिवार को हृदय की अनंत अनंत कोटियों से शुभकामनाएं भी दी, यह प्रतियोगिता पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय डॉ.आर पी बोरकर जी एवं स्वर्गीय श्री जी एल ठाकरे जी की स्मृति में किया गया ,उद्घाटन एवं समापन समारोह में इन दोनों महानू भावों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, इस पूरी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह में शानदार मंच संचालन श्री देवेंद्र सिंह ठाकुर व्यायाम निर्देशक उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के द्वारा किया गया, इस प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में समय-समय पर श्री एमके गौतम प्राचार्य श्री कृष्ण कुमार चौरसिया बालाघाट एवं श्री नारायण सिंह बिसेन के अलावा अन्य नागरिक भी उपस्थित हुए।

अब तक जिले में पर्याप्त बारिश नहीं: किसान खेत भरने के बाद ही धान का रोपा लगाएंगे, झमाझम बारिश का इंतजार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

जिले में मानसून आने के बाद कम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि खेतो में पानी भरने के बाद किसान धान का रोपा लगाएंगे। इसलिए किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार है।

जानकारी के अनुसार जिले के किसी भी विकासखंड में अभी इतनी बारिश नहीं हुई है कि खेतों में पानी भर जाए। इस बीच मक्के में भी अंकुरण न होने की समस्या सामने आने लगी है। ऐसे में आशंका है कि कहीं फसल आने में समय अधिक न लग जाए

किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार

जिले के मौसम की बात करें तो अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कहीं भी अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इस बार प्री मानसून भी सूखा ही रहा। सिर्फ सिवनी, बरघाट, केवलारी और घंसौर में ही बारिश तीन अंकों का आंकड़ा छू पाई है। इतना पानी नहीं गिरा है, जिससे धान के खेत तैयार हो सकें। यही कारण है कि अब तक जिले में धान की रोपाई शुरु नहीं हो पाई है।

2 लाख हेक्टेयर में होती है धान की खेती

जिले में धान की बोवनी लगभग दो लाख हेक्टेयर में की जाती है। फिलहाल 40 हजार हेक्टेयर के लगभग धान की खेती की जा चुकी है, जो कि कतार तरीके से सीधे खेत में लगाई जाती है। वहीं लगभग एक लाख 60 हजार हेक्टेयर में रोपाई पद्धति से बोनी की जाती है।

मक्का की बोवनी पूरी

जिले में लगभग दो लाख हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की जाती है। प्रीमानसून की बारिश के साथ ही किसानों ने मक्के की बोवनी शुरु कर दी थी। लेकिन बारिश नहीं होने से अब मक्के में कई स्थानों पर अंकुरण नहीं होने की समस्या सामने आ रही है। कृषि विभाग का कहना है कि किसान मक्के की फसल में गैप फिलिंग का काम कर लें। जिससे उपज पर अंतर न पड़े।

कृषि कल्याण विभाग के उप संचालक मोरिश नाथ का कहना है कि मक्का बो चुके किसान एक बार मुआयना कर लें। गैप फिलिंग का काम करें। वहीं धान की रोपाई के लिए अभी इंतजार करें। संभावना है कि शीघ्र अच्छी बारिश होगी और खेत तैयार हो जाएंगे।

नदी घाट सिद्ध बाबा महाराज मंदिर में स्थापना दिवस पर हुआ भंडारा प्रसादी वितरण कार्यक्रम

छपारा - नगर के बैंनगंगा नदी के तट स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में 1 जुलाई को स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हवन-पूजन एवं भंडारा प्रसादी बांटी गई जिसमें नगर सहित क्षेत्रीय ग्रामों के बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं ने सिद्ध बाबा की वर्ष में सिर्फ इसी दिन विशेष मूकुट श्रृंगार के साथ मूर्ति के दर्शन कर पूजन अर्चन किया एवं आयोजित नगर सिद्ध बाबा समिति के भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया ज्ञात हो कि नगर सहित क्षेत्र में सिद्ध बाबा का मंदिर गहरी आस्था और श्रद्धा का केन्द्र है जहां वर्ष भर श्रद्धालु यहां दर्शन एवं पूजा करने पहुंचा करते हैं वहीं पूर्व के वर्ष की तरह 1 जुलाई सिद्ध बाबा के आयोजन एवं पूजन के इस दिन का बेसब्री से इंतजार सभी नगर सहित क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को रहता है ।

खबर संक्षेप

कमिश्नर के साथ दो जिलों के कलेक्टर ने किया पौधारोपण

बालाघाट। जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने सोमवार को बालाघाट व मंडला के कलेक्टर्स के साथ एक पेड़ माँ के नाम कान्हा क्षेत्र में लगाया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रारम्भ हो चुका है। इसी अभियान में संभागायुक्त वर्मा ने बालाघाट कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और मंडला कलेक्टर श्रीमती डॉ. सलोनी सिडाना व मंडला जिपं सीईओ श्रेयांश कुमट के साथ पौधा लगाया है।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ विमेन के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता सप्ताह का हुआ आगाज़

बालाघाट। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रशांत सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में DHEWजिला मिशन समन्वयक डीएचईडब्ल्यू सुश्री रचना चौधरी ने तृतीय सप्ताह का सोमवार को आगाज किया। जिसके अंतर्गत मिताली नर्सिंग कॉलेज एवं शाउमावि बैहर का भ्रमण किया गया। इस भारतीय न्याय संहिता सप्ताह अंतर्गत भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पीसीपीएनडीटी चिकित्सयी गर्भपात अधिनियम (एमटीपी) के बारे में अधि. सुश्री सुरभि जैन, केस वर्कर श्रीमति यानिता राहंगडाले के द्वारा मिताली नर्सिंग कॉलेज में जानकारी प्रदान की गई। जहाँ प्राचार्य डॉ. सुष्मिता सेन, सभी प्रोफ़ेसर एवं नर्सिंग की छात्र-छात्राये उपस्थित रहे।

युवाओं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही भाजपा सरकारें-पंजवानी

कांग्रेस ने किया नीट और नर्सिंग मामले को लेकर प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का किया पुतला दहन

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

नीट और प्रदेश की नर्सिंग परीक्षा में हुए घोटाले के खिलाफ, सोमवार को कांग्रेस ने मुख्यालय में प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी की अगुवाही में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कांग्रेसी भ्रष्टाचार का पुतला लेकर निकले और पास ही हनुमान चौक पर भ्रष्टाचार का पुतला दहन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद था।

शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुतले के साथ ही सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री का पुतला दहन किया है। अध्यक्ष पंजवानी ने कहा कि बेरोजगार को रोजगार ना देकर सरकार वैसे ही कलंकित हो चुकी है और अब केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने नीट और नर्सिंग में लाखो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। नीट और नर्सिंग घोटाले से लाखो छात्र, छात्राओं ने उनका सपना छिन लिया। इससे पूर्व पटवारी भर्ती परीक्षा और व्यापम के घोटाले से सबक नहीं लिया। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में नीट और नर्सिंग घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में घोटालेबाजों को समर्थन मिल रहा है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस ने कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं आता है। तो सरकार जगह-जगह पुतला दहन करेगी।

प्रदेश सचिव जुगल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पुतला दहन के माध्यम से भाजपा सरकार को जगाने और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया है कि वह सरकार के रहते हो रही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को खत्म करें। नीट और नर्सिंग घोटाले में युवाओं को बच्चों को छलने और लूटने का काम किया गया। जिसमें संलिप्त मंत्रियों को मंत्रीमंडल से हटाए और अधिकारियों पर कार्यवाही करें। अन्यथा कांग्रेस यह चेतावनी देती है कि भाजपा सरकारों के मंत्रियों के बंगले के सामने प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाकर जो विश्वास दिखाया है उस विश्वास को खरा उतरे ना कि गुमराह करें।

महिला नेत्री अंजु जायसवाल ने कहा कि नीट और नर्सिंग घोटाला, दर्शाता है कि देश और प्रदेश की सरकार, देश के युवाओं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिसके खिलाफत कर रही कांग्रेस सरकार को चेताना चाहती है कि यदि सरकार का रवैया, ऐसा ही रहा तो कांग्रेस इससे भी मुखर होकर विरोध दर्ज करेगी।

इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, जुगल शर्मा, अंजु जायसवाल, अल्लारक्खा, कैलाश साहु, शानू राय, रामसिंह भाटिया, अफरोज कुरैशी, कपिल बर्वे, मकसूद खान, जयकृष्ण डिंगरू, जीतु बर्वे, केवलसिंह झारिया, विनोद बंशकार प्रवीण मदनकर, कुंवरसिंह लाखा, छबिराम नागेश्वर, नरेन्द्र मेश्राम, अनिल पप्पु जायसवाल, नरेन्द्र मेश्राम, शिवम शर्मा, पप्पु मदनकर, फिरोज अल्लारख्खा, सुमन केवलानी, जुबेदा अंसारी, डॉ. दुर्गा वरकड़े सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे।

रेत से भरी टेक्टर ट्राली पलटने से चालक की दबने से मौत

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत रजेगांव में रेत से भरी टेक्टर ट्राली पलटने से टेक्टर चला रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बारे में ग्रामीणों को पता चलने पर घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना वारासिवनी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहाँ मौजूद ग्रामीणों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और यह हादसा कैसे हुआ? इसकी जांच कर रही हैं।

मृतक सुरेश मर्सकोले नदी से रेत भरकर डोंगरिया जा रहा था मिली जानकारी अनुसार मृतक सुरेश पिता महेश मर्सकोले उम्र 22 वर्ष निवासी डोंगरिया सोमवार की सुबह दो मजदूर को साथ लेकर नदी रेत लाने गया था। जब वह वापस अपने गाँव डोंगरिया जा रहा था, तभी रजेगांव मेन रोड में टेक्टर व ट्राली अचानक पलट गई। जिससे चालक सुरेश मर्सकोले टेक्टर के नीचे दब गया और उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई हैं। वहीं दोनों मजदूरों ने टेक्टर ट्राली से कूदकर अपनी जान बचा ली।

फिलहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार अपने मोक्षधाम में किया।

डॉक्टर्स-डे पर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल का आयोजन

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

जिले के नवगठित रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल ने 01 अप्रैल को डॉक्टर्स-डे पर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का सम्मान करने के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया। जिला चिकित्सालय के सभी वार्डो में पहुंचकर क्लब सदस्यों ने मरीजों से उनके स्वास्थ्य को लेकर कुशलक्षेम जानी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। जिसके बाद आयोजित प्रेसवार्ता में नवगठित क्लब के मेंटर कमलजीतसिंघ छाबड़ा, अध्यक्ष रोटे. पुरूषोत्तम चावला, सचिव रोटे. संदीप असाटी ने बारी-बारी से क्लब के उद्देश्यों और कार्यो पर प्रकाश डाला।

क्लब मेंटर कमलजीत छाबड़ा ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल के नाम से एक नए क्लब का गठन, जून माह में किया गया। जिसके 2024-25 के लिए कार्यकारी का नवगठन किया गया है। क्लब का उद्देश्य, जिले में जन-जन तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवाभाव के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। जिसमें प्रमुख और बड़ा कैंप राहत, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के सहयोग से किए जाने की तैयारी, क्लब ने शुरू कर दी है।

अध्यक्ष पुरूषोत्तम चावला ने बताया कि 01 जुलाई को डॉक्टर्स-डे पर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का सम्मान और चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह क्लब अनुभवियों के अनुभव और युवाओं के जोश का मिश्रण है। जो निश्चित ही अपने सेवाभावी स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में एक अलग पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि क्लब, आगामी समय में जिले के रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग यात्रियों के लिए एक इलेक्ट्रानिक व्हील चेयर प्रदान करने जा रहा है। जो क्लब के सेवाक्षेत्र में पहला कदम होगा।

सड़क दुर्घटना में गुरुकृपा बस सर्विस के मालिक कमलनारायण शर्मा के पुत्र ऋषभ की मौत

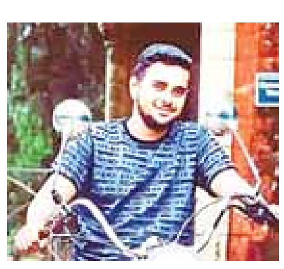

हरिभूमि न्यूज किरनापुर। गुरुकृपा बस सर्विस के मालिक कमल नारायण शर्मा के सबसे छोटे पुत्र ऋषभ उम्र 26 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है । दरअसल 25 जून को ऋषभ कावरे चौक से रात्री 09 बजे अपने घर आ रहा था और जैसे ही वह अपने घर के लिए अपनी बाइक घुमाई तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी जिससे ऋषभ गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसे निजी वाहन से गोंदिया ले जाया गया जिसका इलाज यूनाइटेड हास्पिटल गोंदिया में चल रहा था डाक्टरो ने बताया कि ऋषभ के सिर पर काफी गम्भीर चोट लगी है जिस कारण मस्तिष्क के दो ऑपरेशन किए गए लेकिन अंत में 01 जुलाई को डाक्टरो ने हाथ खड़े कर दिए जंहा वेंटिलेटर हटाने के साथ ही 01 बजे ऋषभ की मौत हो गईद्ध ऋषभ की मौत से पूरे किरनापुर का माहौल गमगीन हो गया जबकि उनके परिजनों एंव हितैषियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऋषभ की मौत के बाद घर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित लोगो के आने का सिलसिला जारी है 02जुलाई को सुबह 10 बजे किरनापुर के मोक्षधाम में दाह संस्कार किया जाएगा।

केन्द्रीय श्री गुरूसिंघ सभा के बालाघाट जिलाध्यक्ष बने हीरासिंघ भाटिया

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

श्री गुरूद्धारा गुरूसिंघ सभा के वर्तमान प्रधान हीरासिंघ भाटिया को, केन्द्रीय गुरूसिंघ सभा का बालाघाट जिलाध्यक्ष मनोनित किया गया है। जिसकी घोषणा गत 30 जून को जबलपुर में आयोजित संभागीय बैठक में की गई। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ केन्द्रीय गुरूसिंघ सभा के पचास साल पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन 30 जून को जबलपुर के बंडोल में किया गया था। बंडोल के भाई लक्खी शाह वणजारा गुरूमत विद्यालय (श्री गुरूग्रंथ साहिब गुरूद्धारा) में आयोजित कार्यक्रम में सिक्ख मिशन के इंजार्ज बलदेवसिंघ, भोपाल सचिव मंजीतसिंघ, म.प्र.-छत्तीसगढ़ केन्द्रीय गुरूसिंघ सभा के जबलपुर संभागीय अध्यक्ष अवतारसिंघ, गुरमत मिशन के अध्यक्ष मोहनसिंघ, केन्द्रीय गुरूसिघ सभा छत्तीसगढ़ सदस्य सरदारनी स्वरनदीप कौर उपस्थित थे।

श्री गुरूद्वारा गुरूसिंघ सभा प्रधान हीरासिंघ भाटिया के केन्द्रीय गुरूसिंघ सभा का बालाघाट जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर हरमिंदर सिंघ अतालिया, नरेन्द्रसिंघ छाबड़ा, गुरूदयालसिंघ भाटिया, महेन्द्रपालसिंघ गांधी, गुरूदीपसिंघ सौंधी, हरमिंदरसिंघ कैथ, मनमीतसिंघ पसरिचा, जसमीतसिंघ छाबड़ा, रविन्दरसिंघ भाटिया, अमरजीत कौर अतालिया, राजरानी गांधी, महेन्दर कौर सचदेवा, मनींदरकौर धालीवाल, संरक्षक हरभजनसिंघ गांधी, सुरजीतसिंघ छाबड़ा और सामाजिक लोगों ने बधाई दी है।

थाना किरनापुर के प्रांगण में हुआ जन संवाद कार्यक्रम

एसडीओपी बोले अंग्रेजों के बनाए कानून से भारतीय न्याय प्रणाली मुक्त

हरिभूमि न्यूज किरनापुर। 1 जुलाई 2024से अब कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहित-बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को ऑनलाइन एफआईआर कर सकेगा। इसको लेकर आज पुलिस थाना किरनापुर के प्रांगण परिसर में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लांजी एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया व थाना प्रभारी छत्रपाल बैस मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीरा राधेश्याम सिंघनधूपे व सरपंच संघ अध्यक्ष डॉ प्रकाश बाहे व क्षेत्र से कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम रखा गया है जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आपराधिक घटनाओं की प्राथमिकी नए कानून के अनुसार दर्ज होंगी और मुकदमे भी नए कानून के आधार पर ही चलाए जाएंगे। संगीन अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। पीड़ित और गवाहों को धमकी या लालच देकर मामले को प्रभावित करना या कोर्ट से बाहर समझौता करना उनके लिए आसान नहीं होगा।

एसडीओपी का कहना है, कि इन तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली आईपीसी के तहत अंग्रेजों की ओर से बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त हो जाएगी। बीएनएस में पुलिस जांच को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा। यदि कार्रवाई में पंच पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे या तलाशी में साथ चलने से मना करेंगे तो उन पर भी मामला दर्ज करने का अधिकार होगा।उन्होंने बताया कि आज से कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहित-बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को आनलाइन एफआइआर कर सकेगा। वह किसी भी जगह से घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। लेकिन शिकायत के तीन दिन के अंदर उसे संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा। शिकायत की प्रति पर उसका हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

62 साल पुरानी जर्जर इमारत में चल रही पंचायत : जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर पंचायतकर्मी

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत बोनकट्टा की करीब 06 दशक पुरानी पंचायत की इमारत अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है. आलम यह है कि पंचायत भवन के भीतर बैठकर काम करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने के जैसा हो गया है. बावजूद इसके पंचायत कर्मी अपनी जान हथेली पर लेकर यहां काम करने को मजबूर है. पंचायत सरपंच हेमलता हांडगे ने बताया कि वर्ष 1962 में यानी 62 साल पहले पंचायत की इमारत का निर्माण हुआ था. अब यह इमारत जर्जर हो चुकी है. पंचायत की छतों और दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है. बारिश के दिनों में हमेशा ही दुर्घटना का डर बना हुआ रहता है. बिजली के उपकरण भी दीवारों में सीपेज होने के कारण अपनी जगह छोड़ चुके है. जिससे करंट फैलने का खतरा भी बना हुआ है. सरपंच ने बताया कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से पत्राचार कर नई इमारत के निर्माण के लिए स्वीकृति भी मांगी किंतु अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है. पंचायत सरपंच की माने तो भवन की दुर्दशा को देखते हुए बारिश के दिनों में पंचायत की बैठक नहीं की जाती और यहां तक की वह स्वयं भी पंचायत आने से कतराती है. पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को भी यह बता दिया गया है कि अधिक बारिश होने पर इमारत के भीतर ना बैठे रहे. अन्यथा कोई भी हादसा हो सकता है।

गौरतलब हो कि बोनकट्टा पंचायत भवन की इमारत जर्जर होने से केवल पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि गांव की जनता भी परेशान होती है. ग्रामीण जनता भी बारिश के दिनों में किसी भी काम से पंचायत आने से कतराती है. सरपंच कहती है कि शासन ने ग्रामीणों को आधुनिक तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पंचायत कंप्यूटर आदि सामान उपलब्ध कराया है. मगर, इस जर्जर भवन में बारिश के दिनों में इन उपकरणों की देखभाल करना तक मुश्किल हो जाता है. सरपंच ने शासन-प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाते हुए तत्काल नए भवन की स्वीकृति की मांग की है. दरअसल, बोनकट्टा पंचायत के अलावा इन दिनों ग्राम पंचायत धनकोषा भी खूब चर्चा में है. इस पंचायत की इमारत का तो और भी बहुत बुरा हाल है. यहां की महिला सरपंच ने भी अपनी पंचायत की इमारत की हालत को देखते हुए कामकाज बंद कर दिए है और इसके साथ ही अधिकारियों को जानकारी भी दे दी है।

कॉलेज में शुरू हुआ तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह

कटंगी। विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति और संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने, उन्हें व्यापक उद्देश्य, स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के मकसद से उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह की शुरुआत की गई. प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार शेंडे के मार्गदर्शन पर कार्यक्रम प्रभारी डॉ. निखत खान सहायक प्राध्यापक, स्वप्निल पाटील के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें सर्वप्रथम नव प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीयन कराया गया. जिसके पश्चात उद्घाटन समारोह के अंतर्गत मां सरस्वती के छायाचित्र पर द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

3 आपराधिक कानूनों को लेकर नागरिकों को दी जानकारी

थाना परिसर कटंगी में लगाया गया शिविर

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

तीन आपराधिक नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता देश भर में एक जुलाई से लागू हो चुके है. इन कानूनों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने और जानकारी देने के लिए सोमवार को थाना परिसर कटंगी में शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस माणक मणि कुमावत, थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले, नगर परिषद अध्यक्ष योगेन्द्र ठाकुर मौजूद रहे. पुलिस अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक कानूनों में हुए बदलाव की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो अब तक देश के भीतर लागू थे. इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं. इन कानूनों में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है तो कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया है. यह नए कानून लागू तो हो गए हैं, लेकिन पुलिस जांच और अदालतें 30 जून तक किए गए अपराधों के लिए पुराने कानूनों के अनुसार अपना काम करेंगी. आज से जो नए अपराध घटित होगें. उन पर नए कानून प्रभावी होंगे।

एसडीओपी ने बताया कि हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है. इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है. इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है और हफ्तेभर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है. इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्डिंग, ईमेल, सर्वर लॉग, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है.

उन्होंने बताया कि यौन हिंसा के मामले में पीड़ति का बयान आवश्यक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब आवश्यक कर दी गई है. पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक होगा. पीड़ति को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

जून माह में जिले में 5 इंच से अधिक वर्षा हुई

बालाघाट। जिले में जून के माह के आखरी दिनों में अभी तहसीलों में अच्छी बारिश हुई है। भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जून में जिले की 11 तहसीलों में कुल औसत वर्षा 134.1 मिली. वर्षा हुई है। अगर इंच में बारिश देखें तो जून माह में 5 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। तहसील वार बारिश की स्थिति जाने तो अब तक सबसे अधिक वर्षा बिरसा तहसील में 8 इंच से अधिक यानी 216.4 मिमी हुई है। इसके बाद बैहर तहसील में भी 8 इंच यानी 214.4 मिमी. परसवाड़ा में 182.2 मिमी. यानी 7 इंच से अधिक,तिरोड़ी में 7 इंच से अधिक 176.6 मिमी.बालाघाट में 169.2 मिमी. मतलब 6 इंच से अधिक, लालबर्रा में 167.3 मिमी. 6 इंच से अधिक,वारासिवनी में करीब 6 इंच 149.3 मिमी. कटंगी में 3 इंच से अधिक 89.1 मिमी.और किरनापुर में अब तक सबसे कम वर्षा 21.4 मिमी यानी पूरी 1 इंच भी वर्षा नहीं हुई है।

बेहरई मोक्षधाम रोड में किया गया वृक्षारोपण

हरिभूमि न्यूज बालाघाट । पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत बेहरई मोक्ष धाम रोड पर शांति रंजन विश्वास जी की प्रेरणा से वृक्षारोपण किया गया तथा कई प्रकार के पौधे लगाए गए जो फलदार वृक्ष भी रोपण किया गया और बताया गया कि हम सभी को मिलकर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पेड़ पौधे हमें जिंदा रहने के लिए आक्सीजन प्रदान करते जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है पेड़ पौधे वातावरण को हरा भरा रखने में सहायक साबित होते हैं बिना पेड़ पौधों के इंसान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस अवसर पर शांति रंजन विश्वास, बेहरई सरपंच दिलीप टेंभरे ,राम प्रसाद बघेल, चैनलाल पटले एवं सभी प्रकृति प्रेमियो का सहयोग प्राप्त हुआ।

SATPUDA ENGINEERING COLLEGE
Approved by AICTE, New Delhi, Affilited by RGPV Bhopal & DTE MP
4 Year Degree
B.Tech. & Polytechnic
3 Year Diploma
COMPUTER SCIENCE ENGG.|
MINNING | CIVIL | MECHANICAL | ELECTRICAL
Lalburra Road Garra, Balaghat Mob. 6262604111, 9425836824,
www.satpudaengineeringcollege.com